CIN : U40109RJ2000SGC016486

"प्रभास्मि शशि सूर्ययोः"	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कार्मिक विभाग) फोन व फैक्स नं. : 0141.2747036 Website : www.jaipurdiscom.com Email : cpo@jvvnl.in; cpojvvnl@yahoo.com

क्रमांकः जेपीडी/कार्मिक/मुकाअ/प./स्थानान्तरण/प्रे. 721 जयपुर, दिनांकः 13-03-18

सचिव(प्रशासन)
अति0पुलिस अधीक्षक(सर्तकता)
मुख्य अभियन्ता ( )
अधीक्षण अभियन्ता( )
मुख्य लेखाधिकारी/व. लेखाधिकारी ( )
उप निदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी ( ),
कंपनी सचिव/सहायक सचिव/जनसंपर्क अधिकारी,
अधिशाषी/सहायक अभियन्ता/सहायक भण्डार नियंत्रक ( ),
निजि सचिव-अध्यक्ष डिस्कॉम्स/निजि सचिव-प्रबन्ध निदेशक,
निजि सहायक-निदेशक (तकनीकी/वित्त), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
.... ।

विषयः- स्थानान्तरण-नीति के तहत मंत्रालयिक/तकनीकी कर्मचारियों के स्थानान्तरण।

....

आदेश कमांक 2517 दिनांक 28.11.2017 के द्वारा समन्वय समिति के अनुमोदन पश्चात जारी स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में जरिये पत्र कमांक जेपीडी/प्रशासन/संस्था/पत्रा.1(70)/प्रे. 66 दिनांक 9.1.2018 से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए थे। साथ ही स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मचारी द्वारा भरा जाने वाला आवेदन-पत्र भी संलग्न कर प्रेषित किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण नीति के अनुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति से सम्बन्धित संवर्ग नियन्त्रक अधिकारी(सचिव (प्रशासन)/मुख्य कार्मिक अधिकारी) द्वारा किये जायेंगे। वृत्त अधीक्षण अभियन्ता, संभागीय मुख्य अभियन्ता, विभागाध्यक्ष उनके क्षेत्राधीन तकनीकी कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर सकेंगे। एक वृत्त/संभाग/विभाग से अन्य में तकनीकी कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति से मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अतः इच्छुक कार्मिक स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति के परिप्रेक्ष्य में संलग्न आवेदन-पत्र **परिशिष्ट-"अ"** में पूर्ण विवरण भरकर अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 15 अप्रेल 2018 तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवदेन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नः **परिशिष्ट-"अ"**

13/3

(राकेश शर्मा)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

D:\CSrajawat\hindi letters.docx